अपील सूचना अधिकार संख्या 41/2020 (GCMS 2020/00057)(पोस्ट ऑर्डर नं. 46एफ–988716) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 71 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

11.02.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 19.12.2019 से पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने व हर्जाना उसे दिलाये जाने एवं वांछित सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.12.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. दिनांक 11.04.2000 को वसीयत निरस्तीकरण दस्तावेज पंजीयन क्रमांक 25/2000 पर दर्ज है। यह वसीयत श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री भगवान दास द्वारा दिनांक 16.1.86 को राधेश्याम गोयल के हक में निष्पादित करवायी थी जिसके बारे मे निम्नलिखित सूचनाएं चाहिए:

1. दस्तावेज के स्टाम्प की कीमत
2. स्टाम्प ले जाने वाले का नाम
3. दस्तावेज निष्पादन हेतु प्रस्तुतकर्त्ता का नाम, पति का नाम
4. दस्तावेज पर फोटो लगाना जिस अवधि में प्रारम्भ हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:40:15 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

5. दस्तावेज निष्पादित में कोई व्यक्ति, गवाह या प्रस्तुतकर्त्ता का नाम य अन्य कोई शब्द या कथन भूल या त्रुटि या सहवन से लिखा गया हो, उसकी सूचना व जो नाम या शब्द या कथन भूल, त्रुटि या सहवन से लिखा गया है उसकी सूचना व भूल सुधार का उपाय की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

उप पंजीयक श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 237 दिनांक 29.06.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार है:

बिन्दु संख्या 1 से 5 के सम्बन्ध में लेख है कि प्रार्थी को दस्तावेज की प्रति पूर्व में उपलब्ध करवायी जा चुकी है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ के अनुसार सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध है और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नयी सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदन, को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गोय तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:40:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम सा सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

राजस्थान स्टाम्प एक्ट एवं पंजीयन रूल्स हेतु विभाग की वेबसाईट http://igrs.rajasthan.gov.in/act-and-rules.htm से जानकारी प्राप्त करें।

-sd-
उप पंजीयक
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी को उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के द्वारा उक्तानुसार जवाब दिया गया है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत **उप पंजीयक द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता सुनवाई हेतु अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर के पत्रांक एफ2(30)सू.अ./नियुक्ति/मुख्यालय/2337 दिनांक 25.11.2016 के अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के रूप में संबंधित उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अधिकृत है।** इसलिए अपीलार्थी वांछित सूचनाओ के सम्बन्ध में उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है **आदेश की प्रति उप पंजीयक, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब के शामिल दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:40:15 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर